

## परिचायक टिप्पणी

**विषय :** अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2014-15.

वर्ष 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 54 अनुदान मांगे हैं। ₹ 12529.48 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹ 500.71 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹ 12027.78 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 99 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. ₹ 500.71 करोड़ का निवल नकद प्रदान करने के प्रस्ताव से कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।
3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मर्दे निम्नानुसार हैं :-

## INTRODUCTORY NOTE

**Subject :** First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2014-2015.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2014-2015 includes 54 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 12,529.48 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 500.71 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 12,027.78 crore. Besides, token provision of ₹ 99 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 500.71 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure.
3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33. आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>33 Department of Economic Affairs</b>			
चुनिन्दा पूंजी वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान करने के लिए।	For making payment to International Finance Corporation towards Selective Capital Increase	-	0.58	0.58
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS</b>			
<b>83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>83 Ministry of Road Transport and Highways</b>			
राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसंधान से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards maintenance of National Highways	-	500.00	500.00
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>105. लेखन सामग्री तथा मुद्रण</b>	<b>105 Stationery And Printing</b>			
न्यायालय के आदेश के कारण मेसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में माध्यस्थ पंचाट से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Arbitration Award in favour of M/s. Shree Krishna Paper Mills and Industries Ltd. on account of a Court order.	-	0.13	0.13
<b>कुल नकद व्यय</b>	<b>Total Cash Outgo</b>	<b>-</b>	<b>500.71</b>	<b>500.71</b>

4. अनुदान की पूरक मांगों के बैच में ₹ 12,027.78 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी पूरक मांगों/विनियोगों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित हैं जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या तदनु रूप बचतों से पूरा किया जाता है। ये मर्दे निम्नलिखित हैं:

4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹12,027.78 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>8. फार्मास्युटिकल्स विभाग</b>	<b>8 Department of Pharmaceuticals</b>			
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए।	For providing loans to Hindustan Antibiotics Ltd. for payment of Salaries	-	9.67	9.67
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9. नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी विभिन्न परियोजनाओं के नवीकरण के लिए निवेश से संबंधित व्यय के लिए।	For expenditure towards investment in Hotel Corporation of India for renovation of its various projects	5.00	-	5.00
<b>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>11. वाणिज्य विभाग</b>	<b>11 Department of Commerce</b>			
निर्यात अवसरचना को विकसित करने तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on scheme for Central Assistance to States for developing Export Infrastructure and other allied activities.	160.00	-	160.00
<b>12. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</b>	<b>12 Department of Industrial Policy and Promotion</b>			
(क) भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹70 करोड़ ) और मेक इंडिया के लिए निवेश संवर्धन (₹ 52.20 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Indian Leather Development Programme (₹ 70 crore) and Investment Promotion towards Make in India Campaign (₹ 52.20 crore)	89.00	-	89.00
(ख) मेसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को निवेश सब्सिडी (पुरानी) से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Investment subsidy to M/s Swastik Fertilisers and Chemicals Private Limited.	0.25	-	0.25
<b>संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>			
<b>13. डाक विभाग</b>	<b>13 Department of Posts</b>			
(क) डाक सेवाएं शीर्ष के अधीन अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) for meeting additional expenditure under the head Postal Services.	-	3.43	3.43
(ख) आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण तथा भूमि के अधिग्रहण के लिए संवर्धित क्षतिपूर्ति से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) for meeting additional expenditure towards cost of acquisition of land and enhanced compensation for land acquisition in Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.	2.26	-	2.26
<b>14. दूरसंचार विभाग</b>	<b>14 Department of Telecommunications</b>			
(क) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड को भुगतान के लिए, माध्यस्थ पंचाट के अनुसार।	(a) For payment to Himachal Futuristic Communications Ltd. as per arbitration award.	-	89.65	89.65

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि के भुगतान।	(b) for payment of arrears of pay to employees of M/s Indian Telephone Industries Ltd.	-	165.00	165.00
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>			
<b>20. रक्षा मंत्रालय</b>	<b>20 Ministry of Defence</b>			
कैंटीन स्टोर विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure of Canteen Store's Department.	-	3,000.00	3,000.00
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION</b>			
<b>28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Development of North Eastern Region</b>			
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए।	For providing equity investment in North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Limited.	2.50	-	2.50
<b>पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DRINKING WATER &amp; SANITATION</b>			
<b>29. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>29 Ministry of Drinking Water &amp; Sanitation</b>			
देश के 82 आईएपी जिलों की 10,000 ग्रामीण बस्तियों में सौर ऊर्जा आधारित ड्यूअल पंप पाइपड वाटर सप्लाई स्कीम के संस्थापन के लिए।	For installation of Solar Energy based Dual Pump Piped Water Supply Scheme in 10,000 rural habitations in 82 IAP Districts of the Country.	110.65	-	110.65
<b>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS</b>			
<b>31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	<b>31 Ministry of Environment and Forests</b>			
(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की स्थापना से संबंधित व्यय (₹ 6 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting (i) establishment related expenditure (₹ 6 crore) of National River Conservation Directorate and (ii) Grants-in-aid General (₹ 9 crore) under National River Conservation Programme	15.00	-	15.00
(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत पूंजी आस्तियों (69 करोड़) के सृजन हेतु अनुदानों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 69 crore) under National River Conservation Programme.	69.00	-	69.00
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33. आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>33 Department of Economic Affairs</b>			
(क) किसान विकास पत्र को पुनः आरम्भ करने और "बालिका-सुकन्या समृद्धि योजना के आरम्भ पर प्रचार अभियान से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards publicity campaign on re-introduction of Kisan Vikas Patra and on introduction of 'Savings Scheme for Girl Child-Sukanya Samruddhi Yojana'.	-	4.90	4.90

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) मूल्य अनुरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹ 4118.80 करोड़) करने और (ii) अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान (₹ 68.24 करोड़) करने के लिए।	(b) (i) For making payment (₹ 4118.80 crore) to International Monetary Fund towards Maintenance of Value and (ii) for making subscription to African Development Fund (₹ 68.24 crore)	-	4,187.04	4,187.04
(ग) नई उधार व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए।	(c) for providing loans to International Monetary Fund under New Arrangement to Borrow	-	2,057.08	2,057.08
<b>34. वित्तीय सेवा विभाग</b>	<b>34 Department of Financial Services</b>			
विश्व बैंक की सहायता के तहत ऋण (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (₹ 85 करोड़) और (ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को (₹ 60 करोड़)।	Loans to (i) National Housing Bank (₹ 85 crore) and (ii) Small Industries Development Bank (₹ 60 crore) of India under World Bank assistance	-	145.00	145.00
<b>भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>51. भारी उद्योग विभाग</b>	<b>51 Department of Heavy Industry</b>			
(क) (i) एचएमटी लिमिटेड का ब्याज माफ करने के लिए (₹ 38.58 करोड़); (ii) नेपा लिमिटेज के ब्याज और दंडिक ब्याज (₹ 355.20 करोड़) को माफ करने तथा सांविधिक देयों (₹ 13.38 करोड़) को माफ करने और (iii) हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की गारंटी शुल्क सब्सिडी (₹ 2.53 करोड़)।	(a) (i) For waiver of interest (₹ 38.58 crore) of HMT Ltd.; (ii) Waiver of interest and Penal Interest (₹ 355.20 crore) and Waiver of statutory dues (₹ 13.38 crore) of NEPA Ltd. And (iii) Guarantee Fee subsidy (₹ 2.53 crore) of Heavy Engineering Corporation Ltd.	-	409.69	409.69
(ख) ऋण, एचसीएल को (₹ 14.66 करोड़), एचएमटी लि. को (₹ 1.37 करोड़), टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 9.05 करोड़) तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (₹ 90 करोड़)।	(b) Loans to HCL (₹ 14.66 crore), HMT Ltd. (₹ 1.37 crore), Tyre Corporation of India Ltd. (₹ 9.05 crore) and Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. (₹ 90 crore)	-	115.08	115.08
<b>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY</b>			
<b>69. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	<b>69 Ministry of New and Renewable Energy</b>			
(क) (i) ग्रिड कनेक्टिविटी विद पावर प्रोजेक्ट (₹ 299 करोड़) के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए ग्रिड इन्टरैक्टिव एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिव सिन्यूएबल पावर-ग्रिड इन्टरैक्टिव सिन्यूएबल पावर-ग्रिड के तहत विद्युत सब्सिडी प्रदान करने और (ii) पेस सेंटर फंड भारत के बराबर अंशदान (₹ 24 करोड़) से संबंधित अंशदान को पूरा करने के लिए।	(a) For (i) providing Power Subsidy under Grid Interactive and Distributed Renewable Power-Grid interactive Renewable Power-Wind for generation based incentive for Grid connected Wind Power Projects (₹ 299 crore) and (ii) meeting expenditure towards India's matching contribution to the PACE Setter Fund (₹ 24 crore)	323.00	-	323.00
(ख) सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-इरडा।	(b) Investment in Public Sector and other undertakings - IRDA	200.00	-	200.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS</b>			
<b>70. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>70 Ministry of Overseas Indian Affairs</b>			
प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन सन्निर्माण निगम को भुगतान करने के लिए।	For payment to National Building Construction Corporation for construction of Pravasi Bhartiya Kendra.	-	5.00	5.00
<b>योजना मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PLANNING</b>			
<b>76. योजना मंत्रालय</b>	<b>76 Ministry of Planning</b>			
नेशनल रेनफेड एरिया आर्थोरिटी कार्यालय के लिए प्लान अर्थोरिटी भवन में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए।	For construction of two additional floors at Plan Authority Bhawan for the office of National Rainfed Area Authority	7.99	-	7.99
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF POWER</b>			
<b>77. विद्युत मंत्रालय</b>	<b>77 Ministry of Power</b>			
विद्युत प्रणाली विकास निधि में जमा करने के लिए (₹199 करोड़) और विद्यमान पारेषण वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यय (₹199 करोड़) को पूरा करने के लिए।	For crediting (₹199 crore) to Power System Development Fund and meeting expenditure on strengthening of existing distribution of transmission infrastructure (₹199 crore)	398.00	-	398.00
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>			
<b>90. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</b>	<b>90 Department of Social Justice and Empowerment</b>			
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित युवाओं और नवांगुतक उद्यमियों के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए।	For implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes	200.00	-	200.00
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>95. वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>95 Ministry of Textiles</b>			
भुगतान आयुक्त से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Commissioner of Payment	-	20.51	20.51
<b>संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)</b>	<b>UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)</b>			
<b>98. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>98 Andaman and Nicobar Islands</b>			
विद्युत उत्पादन हेतु एचएसडी खरीदने से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards purchase of HSD for power generation	-	85.95	85.95
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>103. शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>103 Department of Urban Development</b>			
(क) आवास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Housing	-	2.37	2.37

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र शहरी विकास परियोजना संबंधी स्कीम के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure of the scheme towards North Eastern Region Urban Development Project	41.50	-	41.50
<b>104. लोक निर्माण कार्य</b>	<b>104 Public Works</b>			
लोक निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Public Works	-	90.00	90.00
<b>जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WATER RESOURCES</b>			
<b>106. जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>106 Ministry of Water Resources</b>			
नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों संबंधी योजना के तहत पुडुच्चेरी की संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान।	Grants-in-aid to Union Territory Government of Puducherry under the scheme River Management Activities and Works related to Border Areas.	13.26	-	13.26
<b>कुल तकनीकी</b>	<b>Total Technical</b>	<b>1,637.41</b>	<b>10,390.37</b>	<b>12,027.78</b>
5. नीचे सूचीबद्ध की गई मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है, जिनके लिए व्यय दर्शाया गया है, को उपयुक्त अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।	5. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
<b>कृषि मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE</b>			
<b>1 कृषि और सहकारिता विभाग</b>	<b>1 Department of Agriculture and Cooperation</b>			
"कृषि विस्तार उप मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत (क) सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 43 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid (₹ 2 crore), and office expenses (₹ 43 crore) under the centrally sponsored scheme of 'Sub-Mission on Agriculture Extension'.	45.00	-	45.00
<b>2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग</b>	<b>2 Department of Agricultural Research and Education</b>			
(क) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम झारखण्ड के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution of Excellence, Jharkhand.	0.01	-	0.01
(ख) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम, असम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution of Excellence, Assam.	0.01	-	0.01
<b>3 पशु पालन, डेरी और मत्स्यिकी</b>	<b>3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries</b>			
(क) व्यावसायिक क्षमता विकास के लिए (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (₹ 34.35 करोड़) और (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (₹ 0.30 करोड़) स्कीमों के	For meeting additional expenditure under the schemes of (i) National Livestock Mission (₹ 34.35 crore), and (ii) Veterinary			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	Council of India (₹ 0.30 crore) for Professional Efficiency Development.	34.65	-	34.65
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>4 परमाणु ऊर्जा</b>	<b>4 Atomic Energy</b>			
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre.	300.00	-	300.00
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>7 उर्वरक विभाग</b>	<b>7 Department of Fertilisers</b>			
देशज यूरिया के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure under Indigenous Urea	-	5,000.00	5,000.00
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9 नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की सब्सिडी	Subsidy to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi	-	13.60	13.60
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</b>	<b>12 Department of Industrial Policy and Promotion</b>			
पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (₹ 35 करोड़) और परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 24.50 करोड़) के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure for settlement of claims under North East Industrial and Investment Promotion Policy (₹ 35 crore) and Transport Subsidy Scheme (₹ 24.50 crore)	59.50	-	59.50
<b>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>			
<b>13 डाक विभाग</b>	<b>13 Department of Posts</b>			
डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग के कम्प्यूटरीकरण पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure on computerisation of Investment Division of Postal Life Insurance.	0.20	-	0.20
<b>15 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी</b>	<b>15 Department of Electronics and Information Technology</b>			
इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Electronic Governance.	73.15	-	73.15
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>			
<b>16 उपभोक्ता मामले विभाग</b>	<b>16 Department of Consumer Affairs</b>			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान	(a) towards providing Grants-in-aid General to National System for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामान्य प्रदान करने के लिए।	standardisation for the benefit of North Eastern Region.	0.30	-	0.30
(ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(b) towards providing Grants-in-aid General to National System for standardisation.	2.73	-	2.73
<b>17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>17 Department of Food and Public Distribution</b>			
(क) वस्तु बाजार के लिए विनियामक ढांचा हेतु सुधार आयोजना शुरू करने के लिए भण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का व्यय पूरा करने हेतु	(a) For meeting expenditure on Warehousing Development and Regulatory Authority to undertake transformation plan for strengthening of regulatory framework for commodity market.	6.90	-	6.90
(ख) "चीन मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) for providing additional loans to Public Sector and other undertakings under the scheme "Rehabilitation/ Modernization of Sugar Mills".	-	50.00	50.00
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CULTURE</b>			
<b>19. संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>19 Ministry of Culture</b>			
(क) सचिवालय-सामाजिक सेवा स्कीम के सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General of the scheme Secretariat-Social Services	-	0.01	0.01
(ख) (1) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन, वाराणसी (₹ 1 करोड़) को सहायता अनुदान वेतन (2) पूंजी आस्ति के सृजन के लिए (₹ 6.15 करोड़) नव नालन्दा महावीर को अनुदान (3) संग्रहालय संबंधी शंकाओं के लिए संग्रहालय संग्रहण और अकादमी सुविधाओं के लिए (₹ 2 करोड़) सहायता अनुदान सामान्य (4) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल को अनुदान (₹ 6 करोड़) हेतु।	(b) For (1) Grants-in-aid Salaries to Central University of Tibetan Studies, Varanasi (₹ 1 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.15 crore) to Nava Nalanda Mahavira (3) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) for Digitization of Museums collections and academic facilities for museum related disciplines, (4) Grants to National School of Drama (₹ 6 crore).	15.15	-	15.15
(ग) (i) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹ 5.25 करोड़) (ii) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय (₹ 0.85 करोड़), (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (5.20 करोड़) (iv) सफदरजंग संग्रहालय, हैदराबाद (₹ 1 करोड़), (v) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन, दहंग (₹ 0.43 करोड़) (vi) विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकाता (₹ 0.90 करोड़), (vii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 0.48 करोड़) (viii) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन (₹ 0.51 करोड़), (ix) कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता (₹ 0.35 करोड़) (x) एसियाटिक	(c) For providing additional Grants-in-aid General (i) National Archives of India (₹ 5.25 crore); (ii) Central University of Tibetan Studies (₹ 0.85 crore); (iii) Delhi Public Library (₹ 5.20 crore); (iv) Safdurjang Museum, Hyderabad (₹ 1 crore); (v) Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung (₹ 0.43 crore); (vi) Victoria Memorial Hall, Kolkata (₹ 0.90 crore); (vii) Gandhi Samriti and Darshan Samiti (₹ 0.48 crore); (viii) Raja Ram Mohun Roy Library Foundation (₹ 0.51 crore);			



(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सोसायटी कोलकाता (₹ 1.50 करोड़), (xi) इलाहाबाद संग्रहालय (0.27 करोड़) और (xii) सहायता अनुदान वेतन (₹ 13.95 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने के लिए। (क) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वराणसी (ख) विक्टोरिया हाल कोलकाता (ग) राष्ट्रीय विज्ञान परिषद संग्रहालय, कोलकाता (घ) गांधी स्मृति और दर्शन समिति और (ङ) नेहरू स्मारक संग्रहालय और लाइब्रेरी हेतु।	(ix) Financial Assistance for Promotion of Art and Culture (₹ 0.35 crore); (x) Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.50 crore); (xi) Allahabad Museum (₹ 0.27 crore) and (xii) Grants-in-aid Salaries (₹ 13.95 crore) for (a) Central University of Tibetan Studies, Varanasi, (b) Victoria Memorial Hall, Kolkata (c) National Council of Science Museum, Kolkata, (d) Gandhi Samriti and Darshan Samiti and (e) Nehru Memorial Museum & Library	-	30.69	30.69
(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सहायता अनुदान सामान्य	(d) Grants-in-aid General for Archaeological Survey of India	-	1.10	1.10
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTHEASTERN REGION</b>			
<b>28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Development of North Eastern Region</b>			
(क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under North Eastern Rural Livelihood Project	60.00	-	60.00
(ख) पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत (₹ 80 करोड़) और कारबी एंगलॉग स्वापत्तशासी टेरीटोरियल काउंसिल (₹ 15 करोड़) हेतु विशेष पैकेज के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under North Eastern States Road Investment Programme (₹ 80 crore) and special package for Karbi Anglong Autonomous Territorial Council (₹ 15 crore)	95.00	-	95.00
<b>पर्यावरण और वन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS</b>			
<b>31 पर्यावरण और वन मंत्रालय</b>	<b>31 Ministry of Environment and Forests</b>			
पशु कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु	For meeting expenditure towards Grants in-aid Salaries to Animal Welfare Board	-	0.18	0.18
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>32 विदेश मंत्रालय</b>	<b>32 Ministry of External Affairs</b>			
बंगला देश, चीन भारत म्यांमार कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Other Administrative Expenses under Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Programme.	-	0.50	0.50
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33 आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>33 Department of Economic Affairs</b>			
(क) वायदा बाजार आयोग में पूंजी आस्ति के सृजन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards creation of Capital Assets in Forward Market Commission	0.80	-	0.80

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहाता के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के हेतु ।	(b) For meeting additional expenditure towards Interest equalisation support to Exim Bank of India	-	450.00	450.00
(ग) बजट प्रेस के लिए प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए	(c) Purchase of printing machines for Budget Press.	-	3.90	3.90
<b>34 वित्तीय सेवा विभाग</b>	<b>34 Department of Financial Services</b>			
(क) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु ।	(a) For meeting expenditure under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana	-	100.00	100.00
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ऋण	(b) Loans to National Bank for Agriculture and Rural Development	-	673.29	673.29
<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES</b>			
<b>46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>46 Ministry of Food Processing Industries</b>			
गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानक, अनुसंधान और विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure under the scheme for quality assurance, codex, standards, R&D and other promotional activities.	5.00	-	5.00
<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>			
<b>47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</b>	<b>47 Department of Health and Family Welfare</b>			
(क) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 172.91 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (₹ 439.31 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 117.73 करोड़) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए व्यय पूरा करने हेतु ।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 172.91), Grants for creation of Capital Assets (₹ 439.31) and Grants-in-aid Salaries (₹ 117.73) to various Institutes/ Programmes/Schemes under Medical and Public Health	729.95	-	729.95
(ख) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 116.12 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 267.99 करोड़) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/ कार्यक्रमों/स्कीमों का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 116.12) and Grants-in-aid Salaries (₹ 267.99) to various Institutes/Programmes/ Schemes under Medical and Public Health	-	384.11	384.11
(ग) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 51.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.16 करोड़) परिवार कल्याण के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों का व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 51.50 ) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.16) to various Institutes/ Programmes/Schemes under Family Welfare	52.66	-	52.66
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के लिए सहायता अनुदान सामान्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for the National Institute of Health and Family Welfare	-	0.25	0.25

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹435.69 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹205.73 करोड़) और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़)।	(e) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 435.69), Grants for creation of Capital Assets (₹ 205.73) to various Institutes/ Programmes/Schemes and Grants-in-aid Salaries (₹ 2 crore) to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences.	643.42	-	643.42
(च) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान (₹271.86 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹24.09 करोड़) प्रदान करना।	(f) For providing Grants-in-aid General (₹ 271.86 ) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 24.09) to various Institutes/Programmes/Schemes	295.95	-	295.95
(छ) संघ शासित राज्य सरकारों के तहत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.21 करोड़) प्रदान करना।	(g) For providing Grants-in-aid General (₹ 6.71 crore ) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.21 crore) to various Institutes/Programmes Schemes under UT Governments	6.92	-	6.92
(ज) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत पूंजीगत कम करने हेतु।	(h) For incurring capital expenditure under Medical and Public Health	377.72	-	377.72
(झ) केंद्रीय कोढ़ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के लिए प्रमुख निर्माण कार्य संबंधी व्यय पूरा करना।	(i) For meeting expenditure on Major Works for Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	0.10	-	0.10
<b>49 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b>	<b>49 Department of Health Research</b>			
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्कीम के तहत (₹203.35 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹40 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 203.35) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2 crore) under the schemes Medical and Public Health	245.35	-	245.35
(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में सामान्य अनुदान (₹52.23 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹18.10 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 52.23 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 18.10 crore) in respect of Indian Council of Medical Research	-	70.33	70.33
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के तहत प्रावधानों में बढ़ोत्तरी के लिए।	(c) For augmentation of provisions under projects/schemes under North Eastern Areas	8.00	-	8.00
<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>51 भारी उद्योग विभाग</b>	<b>51 Department of Heavy Industry</b>			
(क) कचार पेपर मिल, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि. की ईकाई को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	(a) For providing transport subsidy to Cachar Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Limited.	70.86	-	70.86
(ख) एनईपीए लिमि. के संबंध में ऋण को इक्विटी में अंतरण हेतु।	(b) For conversion of Loan into Equity in respect of NEPA Limited.	-	231.01	231.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) एचएमटी लिमि. को गैर-आयोजना ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Non Plan loan to HMT Limited	-	90.80	90.80
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>54 मंत्रिमंडल</b>	<b>54 Cabinet</b>			
(क) पूर्व-राज्यपालों के सचिवालयी व्यय की प्रतिपूर्ति का व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards reimbursement of Secretariat expenditure of ex-Governors	-	0.88	0.88
<b>55 पुलिस</b>	<b>55 Police</b>			
(क) विधानमंडल रहित संघ शासित राज्य क्षेत्रों में अग्नि और आपात सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards modernisation of fire and emergency services in the Union Territories without Legislature	10.00	-	10.00
(ख) सीमा पर बाड के अनुरक्षण का व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards maintenance of Border Fencing	-	20.00	20.00
(ग) वनरोपण आदि और परामर्श शुल्क के भुगतान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards payment of compensation for afforestation and payment of consultancy fees etc.	23.51	-	23.51
	(d) For meeting expenditure towards research	-	270.00	270.00
<b>हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION</b>			
<b>58 हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</b>	<b>58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>			
(क) एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम के अन्य प्रशासन व्यय पूरा करने हेतु व्यय।	(a) For meeting expenditure towards other administrative expenses of the scheme Integrated Low Cost Sanitation	0.26	-	0.26
(ख) राजीव ऋण योजना स्कीम (₹2 करोड़) और सभी को आवास हेतु नया मिशन (₹0.01 करोड़) के अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards other administrative expenses of the scheme Rajiv Rinn Yojana (₹ 2 crore) and New Mission for Housing for All (₹ 0.01 crore)	2.01	-	2.01
(ग) राजीव आवास योजना स्कीम के तहत विज्ञापन व प्रचार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards advertising and publicity under the scheme Rajiv Awas Yojana	10.00	-	10.00
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>			
<b>59 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>	<b>59 Department of School Education and Literacy</b>			
(क) 4000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-Aid Salaries for recruitment of 4000 additional teachers	261.00	-	261.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-Aid to State Governments for setting up of 6000 model schools at Block level	430.00	-	430.00
<b>60 उच्चतर शिक्षा विभाग</b>	<b>60 Department of Higher Education</b>			
(क) (i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹0.50 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल (₹27 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹0.50 करोड़) के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(a) For (i) Grants-in-aid General to Indian Institute of Information Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets in respect of National Initiative for Design Innovation (₹ 27 crore) and Indian Institute of Information Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore)	28.00	-	28.00
(ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Indian Institutes of Management	-	1.20	1.20
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure as Grants for creation of capital assets for the benefit of North Eastern Areas.	130.00	-	130.00
<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>			
<b>62 श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>	<b>62 Ministry of Labour and Employment</b>			
(क) "स्कीम कौशल विकास" मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करना।	(a) For meeting expenditure under the Scheme of Skill Development Mission towards Grants-in-aid General .	1.00	-	1.00
(ख) (i) मिशन स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹71.34 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in- aid General to State Governments (Rs 71.34 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (Rs 40 crore) under the scheme Skill Development Mission.	111.34	-	111.34
(ग) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to Union Territory Governments under the Scheme Skill Development Mission	1.50	-	1.50
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>			
<b>66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>			
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (₹2.74 करोड़) और कॉयर् बोर्ड (₹11.38 करोड़) को वेतन के लिए अनुदान।	Grants to Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (₹ 2.74 crore) and Coir Board (₹ 11.38 crore) towards salaries.	-	14.12	14.12

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>				
<b>68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>				
(क) (i) निःशुल्क कोचिंग स्कीम और संबद्ध स्कीम (₹20 करोड़) के तहत और (ii) मैरिट-सह-मिन्स छात्रवृत्ति और नई छात्रवृत्तियां (₹15 करोड़) के नवीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (i) under the scheme of Free Coaching and Allied Scheme (₹ 20 crore) and (ii) Renewal of Merit-cum-Means scholarships and new scholarships (₹ 15 crore)	35.00	-	35.00
(ख) अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास स्कीम (₹42.70 करोड़) और हमारी धरोहर हेतु व्यय (₹9 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under the schemes of Skill Development Initiatives for Minorities (₹ 42.70) and meeting expenditure (₹ 9 crore) for Hamari Dharohar	51.70	-	51.70
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तहत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधानों में बढोत्तरी हेतु।	(c) For augmentation of provisions of projects/schemes under North Eastern Areas	5.80	-	5.80
(घ) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid to State Governments	30.00	-	30.00
<b>कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>				
<b>73 कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>				
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	For providing grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) to Indian Institute of Public Administration	5.00	-	5.00
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>				
<b>75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>				
आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए।	For Setting up Petroleum University in Andhra Pradesh.	1.00	-	1.00
<b>विद्युत मंत्रालय</b>				
<b>77 विद्युत मंत्रालय</b>				
तकनीकी नियंत्रण और निगरानी स्कीम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on salaries to Central Electricity Authority under the Scheme Technical Control Planning and Monitoring	-	4.00	4.00
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>				
<b>83 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>				
मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर का सृजन।	For creation of State and National Register of Driving license and Registration Certificate of Motor Vehicle	7.68	-	7.68

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>88 Department of Biotechnology</b>			
निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसंधान और विकास-हेतु सहायता के लिए कृषि जैवप्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र हेतु सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹14 करोड़)। (ii) अनुसंधान और विकास-आधारभूत अनुसंधान और उभरते क्षेत्र के लिए सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और (iii) जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Grant-in -aid General (₹14 crore)for assistance for Research & Development - Agricultural Biotechnology and Allied Areas; (ii) Grants-in-aid General (₹ 7 crore) for assistance for Research and Development - Basic Reasearch and Emerging Areas and (iii) Grants-in-aid General (₹ 4 crore) for Biotech facilities.	25.00	-	25.00
<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SHIPPING</b>			
<b>89 पोत परिवहन मंत्रालय</b>	<b>89 Ministry of Shipping</b>			
(क) पेशेवर सेवाओं के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under professional services for appointment of Arbitrator	-	3.00	3.00
(ख) तटीय संरक्षण कार्य के लिए चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अतिरिक्त व्यय के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Coastal Protection Work in Chennai Port Trust.	15.00	-	15.00
<b>अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>			
<b>92 अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>92 Department of Space</b>			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान हेतु सभी कंडक्टर लैबोरेटरी (₹6.67 करोड़) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.71 करोड़) तथा (ii) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी - सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure for (i) Semi-conductor laboratory towards Grants-in-aid General (₹ 6.67 crore) and grants for creation of Capital Assets (₹ 2.71 crore) and (ii) Indian Institute of Space Science & Technology as Grants-in-aid General (₹ 1 crore).	10.38	-	10.38
(ख) अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (i) सेमी कंडक्टर लैबोरेटरी (₹1.13 करोड़); (ii) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी (₹1.50 करोड़); (iii) नार्थ ईस्टर्न स्पेश अप्लीकेशन सेंटर (₹1 करोड़) तथा (iv) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी (₹1.40 करोड़)।	(b) For providing additional Grants-in-aid Salary to (i) Semi-conductor laboratory (₹ 1.13 crore); (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1.50 crore); (iii) North Eastern Space Application Centre (₹ 1 crore) and (iv) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore)	-	5.03	5.03
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>95 कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>95 Ministry of Textiles</b>			
(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़), पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹2.50 करोड़) तथा विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.50 करोड़) - व्यापार सुविधा बांड तथा क्राफ्ट म्यूजियम हेतु; (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹3.33 करोड़) तथा कैटलाइटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम	(a) (i) Grants-in-aid General ( ₹ 8 crore), grants for creation of Capital Assists (₹ 12 crore), other administrative expenses (₹ 0.50 crore), professional services (₹ 2.50 crore) and Advertisement and Publicity (₹ 0.50 crore) for Trade Facilitation Centre and Craft Museum towards; (ii) Grants-in-			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.20 करोड़)।	aid General (₹ 3.33 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.20 crore) for Catalytic Development Programme	29.03	-	29.03
(ख) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालाजी भदोही को अनुदान - वेतन हेतु।	(b) Grants to Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi towards salaries	-	3.50	3.50
(ग) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान - हैंडलूम क्लाथ के लिए विशेष छूट।	(c) Grants-in-aid to State Governments towards special rebate for Handloom Cloth.	-	9.52	9.52
<b>संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)</b>	<b>UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)</b>			
<b>98 अंडमान एवं निकोबार (द्वीपसमूह)</b>	<b>98 Andaman and Nicobar Islands</b>			
(क) नए शुरु किए गए कालेज (एएनसीओएल) के व्यय का पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for newly started college (ANCOL)	0.25	-	0.25
(ख) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइज के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises	5.00	-	5.00
<b>102 लक्षद्वीप</b>	<b>102 Lakshadweep</b>			
(क) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure for the employees of Department of Education working under PRIs	-	4.80	4.80
(ख) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत कला एवं संस्कृति के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for the employees of Department of Art and Culture working under PRIs	-	0.46	0.46
(ग) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट्स को चलाने तथा अनुरक्षण और पीआरआई के अन्तर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों को भत्ता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for running and maintenance of Type Writing institutes and pay and allowances of employees of Department of Employment of Training working under PRIs	-	0.21	0.21
(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards pay and allowances for the employees functioning under Department of Women and Child Development	-	0.65	0.65
(ङ) पीआरआई के अन्तर्गत पंचायत विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards pay and allowances for the employees of Department of Panchayat working under PRIs	-	1.25	1.25
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>103 शहरी विकास विभाग</b>	<b>103 Department of Urban Development</b>			
(क) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure under Swachh Bharat Mission	130.25	-	130.25
(ख) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अंतरण।	(b) Swachh Bharat Mission under Transfer to State Governments	1970.00	-	1970.00
(ग) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण।	(c) Swachh Bharat Mission under Transfer to UT Governments	100.00	-	100.00
(घ) संघ परीक्षा (₹15 करोड़) और वित्त राजस्व (₹25 करोड़) के संबंध में रिहायशी आवास	(d) For meeting additional expenditure for construction of residential			



(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	accommodation in respect of Audit (₹ 15 crore) and Finance (Revenue) (₹ 25 crore)	-	40.00	40.00
(ड) इक्विटी प्रदान करना : (i) बंगलूर मेट्रो (₹424 करोड़), (ii) कोच्चि मेट्रो (₹78.82 करोड़) तथा (iii) नागपुर मेट्रो (₹10 करोड़)।	(e) Providing equity to (i) Bangalore Metro (₹ 424 crore), (ii) Kochi Metro (₹ 78.82 crore) and (iii) Nagpur Metro (₹ 10 crore)	512.82	-	512.82
<b>104 लोक निर्माण कार्य</b>	<b>104 Public Works</b>			
लोक परीक्षा (₹12 करोड़), वित्त (राजस्व) (₹40 करोड़) तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन (₹8 करोड़) के संबंध में कार्यालय बिल्डिंग निर्माण के व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards construction of office buildings in respect of Audit (₹ 12 crore), Finance (Revenue) (₹ 40 crore) and Personnel Public Grievances and Pensions (₹ 8 crore)	-	60.00	60.00
<b>जलसंसाधन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WATER RESOURCES</b>			
<b>106 जलसंसाधन मंत्रालय</b>	<b>106 Ministry of Water Resources</b>			
(क) पूंजीगत अस्तियों के सृजन (₹168 करोड़) तथा नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी के ईएपी घटक के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure for creation of Capital Assets (₹ 168 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority.	173.00	-	173.00
(ख) नेशनल शिवर कंजरवेजन प्लान के अन्तर्गत नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी तथा नोन-प्लान इएपी घटक (₹ 17 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत अस्तियों के सृजन हेतु (₹ 110 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान उपलब्ध करना हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid to State Governments towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 110 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority and Non-EAP component (₹ 17 crore) under National River Conservation Plan.	127.00	-	127.00
(ग) नेशनल रिवर कंजरवेशन प्लान के ईएपी घटक के अन्तर्गत पूंजीगत पीसंपत्तियों (₹ 72 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) के अनुदान व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 72 crore) and Grants-in-aid General (₹ 8 crore) under EAP component of National River Conservation Plan.	80.00	-	80.00
<b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>			
<b>107 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>107 Ministry of Women and Child Development</b>			
(क) (i) नेशनल कमीशन फार वूमन की पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹9.08 करोड़); (ii) जेडर बजटिंग के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹0.22 करोड़) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना तथा (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व्यय को पूरा करना (₹13.50 करोड़)।	(a) For (i) providing Grant for Creation of Capital Assets to National Commission for Women (₹ 9.08 crore) ; (ii) training programme under Gender Budgeting (₹ 0.22 crore) and (iii) meeting expenditure Beti Bachao Beti Padhao (₹ 13.50 crore)	22.80	-	22.80
(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अनुदान (₹4.60 करोड़) तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान (₹3.25 करोड़)।	(b) Grants to National Institute of Public Cooperation and Child Development (₹ 4.60 crore) and Grants to Central Social Welfare Board (₹ 3.25 crore)	-	7.85	7.85
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधान संवर्द्धन हेतु।	(c) For augmentation of provisions of projects/schemes under North Eastern Areas	1.58	-	1.58

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>यूवा मामलें और खेल मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>			
<b>108 यूवा मामलें और खेल मंत्रालय</b>	<b>108 Ministry of Youth Affairs and Sports</b>			
(क) राजीवगांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट (₹ 1.70 करोड़) (ii) जबाहर इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (₹ 5.23 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन को अनुदान (₹ 17.55 करोड़) (iv) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्यालियर को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) (v) नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (vi) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (vii) नेशनल एंटीडोपिंग एजेंसी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) तथा (viii) स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.70 crore) to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development; (ii) contribution to Jawahar Institute of Mountaineering & Himalayan Mountaineering Institute (₹ 5.23 crore); (iii) Grants (₹ 17.55 crore) to Nehru Yuva Kendra Sangathan; (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior; (v) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) towards Assistance to National Sports Federations; (vi) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) under the scheme of Special Cash Awards; (vii) Grants-in-aid General (₹ 3 crore) to National Anti Doping Agency and (viii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) for setting up of Junior Sports Academies	82.48	-	82.48
(ख) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट के लिए अनुदान	(b) Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	-	6.43	6.43
(ग) (i) नेशनल प्रोग्राम फार यूथ एण्ड एडालेसेंट डेवलपमेंट स्कीम (₹ 5 करोड़); (ii) नेशनल सर्विस स्कीम (₹ 2.50 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन (₹ 1.95 करोड़) तथा (iv) लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट और फिजिकल एजुकेशन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 5 crore); (ii) National Service Scheme (₹ 2.50 crore); (iii) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 1.95 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20 crore) to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education	29.45	-	29.45
(घ) नेशनल सर्विस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under National Service Scheme	27.80	-	27.80
<b>कुल सांकेतिक</b>	<b>Total Token</b>	<b>0.63</b>	<b>0.36</b>	<b>0.99</b>
<b>कुल योग</b>	<b>GRANDTOTAL</b>	<b>1,638.04</b>	<b>10,891.44</b>	<b>12,529.48</b>
<b>निवल नकद प्रवाह</b>	<b>Net Cash Outgo</b>	<b>-</b>	<b>500.71</b>	<b>500.71</b>
<b>तकनीकी पूरक</b>	<b>Technical Supplementary</b>	<b>1,637.41</b>	<b>10,390.37</b>	<b>12,027.78</b>
<b>सांकेतिक पूरक</b>	<b>Token Supplementary</b>	<b>0.63</b>	<b>0.36</b>	<b>0.99</b>